संख्या-20/2019/322/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी, 2019

विषय:- **रिट याचिका संख्या-32947/एम0एस0/2018 एस.जी.एम. एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसायटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-17.11.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3117/स.क./शिक्षा-अ/कोर्ट-2/ 1112/2018-19, दिनाक-13.12.2018 एवं पत्रांक-3156/स.क./शिक्षा-अ/2/1112/2018-19, दिनाक-18.12.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार याची संस्था एस.जी.एम. एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसायटी के वर्ष 2017-18 के ट्रान्जेक्शन फेल से सम्बन्धित 130 छात्रों की लम्बित छात्रवृत्ति हेतु **रू0-44.0929 लाख (रू0-चौवालीस लाख नौ हजार दौ सौ नब्बे मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी थी, से भुगतान की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-20/2019/322(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।